संख्या-1432/22-4-12-48(24)/12

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 — लखनऊःदिनांक- 04 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2013

विषयः- जिला कारागार मैनपुरी में 88 नग दिन शौचालय, बाथिंग प्लेटफार्म, सैप्टिक टैंक, सोकपिट, सैलो ट्यूबवेल, नाली एवं इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-27549/नम-1/217, दिनांक 12.9.2013 एवं पत्र संख्या-31280/नम-1, दिनांक 20.12.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांतगत कार्यो हेतु पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल जिला कारागार मैनपुरी में 88 नग दिन शौचालयों, बाथिंग प्लेटफार्म, 18 सैप्टिक टैंक, 18 सोकपिट 400 मी0 नाली 01 शैलो ट्यूबवेल 05 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प, 04 नग दिन शौचालय हेतु वाटर टैंक के निर्माण हेतु चयनित कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रेजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तुत आगणन पर परीक्षणोपरान्त रू0-53,58,000 (रूपये तिरपन लाख अट्ठावन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रथम किश्त के रूप में रू0-21,43,000/- (रूपये इक्कीस लाख तेतालिस हजार मात्र) आहरित करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2014 तक कर लिया जायेगा तथा भौतिक/वित्तीय प्रगति आख्या प्रत्येक माह उपलब्ध कराई जाय तथा दिनांक 31.08.2014 तक पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

..........2

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नही की जायेगी। उक्त कार्य की भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रथम किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कर लेने के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(11) लेबर सेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04- कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्राविधान से ही वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-12-1802/दस-2013, दिनांक-26 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
02/12/13
(आर0के0 द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-1432(1)/22-4-12 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, मैनपुरी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आर0के0 द्विवेदी)
अनु सचिव।